

## कार्यालय,

प्रविष्ट, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तखनऊ।

संख्या- प्राविष्ट/परिषद/सम्बद्धता/2023/7817

तखनऊ: दिनांक: 31/08/2022

### कार्यालय भाषा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेट्री कारुमिल ऑफ इन्डियन, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 18/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघारित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/वाटकाक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिखित रूप में लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाटकाक्रम एवं वरुमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2288-KANCHAN POLYTECHNIC

क्रमांक	वाटकाक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (COMPUTER AIDED DESIGN)	30	30
5	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, विनियमवली-2009, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा समय-समय पर निहित शाहनादेशों का अनुपालन करेगी तथा कुलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुलक तीन वर्षों के इन्ट्री वाटकाक्रमों हेतु ₹० 33150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के फार्मेट्री वाटकाक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के वाटकाक्रमों (दो वर्षों के फार्मेट्री



# कार्यालय,

## संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

### उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या - प्राविद्य/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

संज्ञक: दिनांक: 08/08/2021

### कार्यालय पत्र:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंट्रल सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार कार्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2368-KANGHAN POLYTECHNIC, VILLAGE- PURE GAUTAMAN, MAJRE-MANHERU, POST- BILKHARA, RAE BARELI

क्र.सं०	कार्यक्रम का नाम	ए-आईटीसीटीईई/पीसीआई/द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश हेतु अनुमोदित प्रवेश	
		क्षमता	क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
6	MECHANICAL ENGINEERING (COMPUTER AIDED DESIGN)	30	30

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए-आईटीसीटीईई/पीसीआई/द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इर्षी/कार्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कार्यवाही कार्यक्रम हेतु ₹०- 60300.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों कार्यक्रमों को वर्षों कार्यवाही कार्यक्रम के अतिरिक्त, हेतु ₹०-